

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
16/199/2025

रजिस्टर्ड नम्बर  
2025/262

प्रवेश तिथि  
20.08.2025

निर्णय दिनांक  
06.05.2026

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

## बनाम

1. गेन्दी पत्नी स्व. गंगलनाथ जाति जोगी निवासी ढहलावास तहसील व जिला अलवर राज०।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4)  
भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित:-

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

—वकील प्रार्थी

02— अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय:-

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम-14 (4) भूमि आवंटन नियम जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम ढहलावास, तहसील व जिला अलवर की आराजी खसरा न० 1034/1365 रकबा 0.50 है० भूमि का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नं. 1034/1365 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म बारानी-2 भूमि वाके ग्राम ढहलावास, तहसील व जिला अलवर सन् 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटन का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का ढहलावास की रिपोर्ट दिनांक 17.07.2025 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा काशत नहीं है तथा ना ही मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थीगण द्वारा राज० कृषि भूमि आवंटन नियम 1970, नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

उक्त आराजी राजस्व ग्राम ढहलावास तहसील अलवर में स्थित है तथा ग्राम ढहलावास राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 3(34)वन/2007 दिनांक 09.07.2012 से सरिस्का व्याघ्र आरक्षित के मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र है। अतः श्रीमान प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन सन् 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को आराजी हाल खसरा नं. 1034/1365-रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म बारानी-2 भूमि वाके ग्राम ढहलावास, तहसील अलवर का किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं, के बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर प्रार्थी की बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज। मुताबिक रिकॉर्ड उक्त विवादित आवंटित आराजी साबिक खसरा नंबर 587/710 रकबा 2 बीघा व हाल खसरा न० 1034/1365 रकबा 0.50 है० भूमि के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)

आवंटी/अप्रार्थी गेन्दी पत्नी स्व. गंगलनाथ जाति जोगी हिस्सा पूर्ण सा0 देह अलोटी गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में संलग्न नामान्तरण संख्या 124 दिनांक 17.03.1976 द्वारा साबिक खसरा नंबर 587/710 रकबा 2 बीघा व हाल खसरा न0 1034/1365 रकबा 0.50 है0 भूमि का गेन्दी बेवा गंगलनाथ जोगी को आवंटन गैर खातेदार का दर्ज व स्वीकृत किया गया। पत्रावली में संलग्न पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा/आराजी पर मूल आवंटी/अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। उक्त वर्णित आराजी पहाड़ की तलहटी में बंजड पड़ी हुई है। उक्त आवंटन राजस्व ग्राम ढहलावास तहसील अलवर में किये गये है, जो राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 3(34) वन/2007 दिनांक 06.07.2012 से बाघ परियोजना सरिस्का के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित है। बफर क्षेत्र घोषित होने के कारण राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के अनुसार आवंटन या नियमन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी गेन्दी पत्नी स्व. गंगलनाथ जोगी निवासी ढहलावास तहसील व जिला अलवर को हाल खसरा नंबर 1034/1365 रकबा 0.50 है0 भूमि का किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*Al*  
(बीना महावर)  
अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अलवर, (राज0)